

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220288
SG-DL-E-01072020-220288

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]	दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2020/ आषाढ़ 6, 1942,	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 57 No.
11]	DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2020/ ASHADHA 6, 1942	[N.C.T.D. 57

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

(रिट शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जून, 2020

सं.फा.1/37/03/भू.व.भ./रिट शाखा/960-1020.-माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (7) के अर्थ में एतद द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए, दिल्ली सरकार और/या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सचिव, भूमि एवं भवन विभाग/भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर्स से सम्बंधित प्रधान सभी मामलों में केन्द्र सरकार और/या जन-अधिकारी, जिनके बचाव की जिम्मेदारी इसके द्वारा ली गयी है, के द्वारा या विरुद्ध किसी मुकदमे/ अपील या अन्य किसी कार्यवाही के लिए श्री यीशु जैन, अधिवक्ता को स्थाई अधिवक्ता के रूप में उनके कार्यकाल को दिनांक 01.07.2020 से एक वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं ।

श्री यीशु जैन, अधिवक्ता की स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति अधिसूचना संख्या एफ. 5/10/91/मु./1345 दिनांक 26/02/1992 तथा समय-समय पर यथा विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होगी ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से एवं उनके नाम पर
विनय कुमार, विशेष सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(WRIT BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2020

No.F.1/37/2003/Misc./L&B/WC/960-2020—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2020 to September, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

3. This notification shall come into force with effect from the 23rd March, 2020.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of NCT of Delhi

VIVEK PANDEY, Special Secy. (L&B)